रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप -खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2372] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 19, 2019/आषाढ़ 28, 1941
No. 2372] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 19, 2019/ASHADHA 28, 1941

## मत्स्यपालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

### (पशुपालन और डेयरी विभाग)

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2019

**का.आ. 2602(अ).**—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता का निवारण करता है;

और, भारत सरकार का मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् मंत्रालय कहा गया है) राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अधीन उद्यमिता, विकास और रोजगार सृजन की योजना-राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अधीन संघटक (जिसे इसमें योजना कहा गया है), प्रशासित कर रहा है जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है), के माध्यम से संपूर्ण देश में राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है;

और, योजना के अधीन, पूर्व लक्ष्यित सहायिका (जिसे इसमें फायदे कहा गया है) की, वर्तमान योजना के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, भिन्न-भिन्न उप-संघटकों के लिए प्रत्यय-सह-सहायिका सम्बद्ध क्रियाकलापों हेतु केन्द्रीय सहायता के मद्दे, अन्य बातों के साथ-साथ, किसानों और व्यष्टिक उद्यमियों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् लाभार्थी कहा गया है) को प्रतिपूर्ति की जाती है;

और, पूर्वोक्त योजना में भारत की संचित निधि से उपगत आवृत्ति व्यय अन्तर्वलित है;

अत: अब, केंद्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. (1) योजना के अधीन लाभ लेने के इच्छुक प्रत्येक पात्र लाभार्थी से अपेक्षा की जाती है कि वह आधार संख्या रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन कराए;

(2) योजना के अधीन लाभ लेने के इच्छुक प्रत्येक ऐसा लाभार्थी, जो आधार संख्या नहीं रखता है या जिसने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया है, उसे आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, बशर्ते कि वह उक्त अधिनियम की धारा 4 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार है और ऐसे व्यक्ति किसी भी आधार नामांकन केन्द्र [केंद्रों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है] पर आधार नामांकन के लिए जा सकते हैं ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, सम्बन्धित विभाग, जो राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या मंत्रालय में योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है, से अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करे जिनका आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया गया है और यदि सम्बन्धित ब्लॉक या तालुक या तहसील में कोई आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है तो उक्त सम्बन्धित विभाग भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों के साथ समन्वय करके या रजिस्ट्रार स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकारी बनकर सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा:

परंतु व्यष्टियों को आधार समनुदेशित किए जाने के समय तक योजना के अधीन फायदे निम्नलिखित दस्तावेजों को पेश करने के अधीन रहते हुए, ऐसे व्यक्तियों को दिए जाएंगे, अर्थात् :-

(क) यदि उसका नामांकन किया गया है, उसका आधार नामांकन पहचान पर्ची; और

(ख) (i) बैंक के पासबुक या डाक खाने की पासबुक, जिसमें फोटो लगा हो; या (ii) मतदाता पहचान पत्र; या (iii) स्थायी लेखा संख्यांक (पैन कार्ड); या (iv) पासपोर्ट; या (v) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (vi) राशन कार्ड; या (vii) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का जॉब कार्ड; या (viii) किसान फोटो पासबुक; या (ix) किसी शीर्ष नामे पर राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी पहचान का प्रमाण पत्र, जिस पर ऐसे व्यक्ति का फोटो लगा हो; या (x) कोई अन्य दस्तावेज, जो मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

परंतु यह और कि इस प्रयोजन के लिए पूर्वोक्त दस्तावेजों की जांच मंत्रालय द्वारा पदाभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

2. योजना के अधीन लाभार्थियों को सुविधाजनक और निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए, वह विभाग, जो कार्यान्वयन के अभिकरण के माध्यम से राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है, सभी अपेक्षित व्यवस्था करेगा जिससे इस योजना के अधीन लाभार्थियों के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए आधार की अपेक्षा के बारे में उन्हें जागरूक किया जा सके ।

3. उन सभी मामलों में, जहां आधार अधिप्रमाणन लाभार्थियों के खराब बायोमैट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से असफल रहता है, वहां तंत्र का प्रबंध करने वाले निम्नलिखित अपवाद अपनाया जाएगा, अर्थात् :-

(क) खराब अंगुली छाप गुणवत्ता के मामले में, आईआरआईएस स्कैन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अधिप्रमाणन के लिए अपनायी जाएगी जिसके परिणामस्वरूप ऐसा सम्बन्धित विभाग, जो कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है, निर्बाध रीति में फायदों के परिदान के लिए अंगुली छाप के साथ आईआरआईएस स्कैनर्स या चेहरा अधिप्रमाणन के लिए उपबंध करेगा;

(ख) अंगुली छाप के माध्यम से बायोमैट्रिक्स अधिप्रमाणन या आईआरआईएस या चेहरा अधिप्रमाणन के सफल न होने की दशा में, जहां कहीं साध्य और ग्राह्य हो, वहां, यथास्थिति, सीमित समय वैधता वाले आधार वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) या समय आधारित वन टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन प्रदान किया जाएगा;

(ग) ऐसे अन्य सभी मामलों में, जहां बायोमैट्रिक या वन टाइम पासवर्ड या समय आधारित वन टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है, वहां लाभ उस वास्तविक आधार पत्र के आधार पर दिया जा सकेगा जिसकी अधिप्रमाणिकता, आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया कोड के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है । त्वरित प्रतिक्रिया कोड पाठक की आवश्यक व्यवस्था कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र

प्रशासन में योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी सम्बद्ध विभाग द्वारा सुविधाजनक अवस्थानों पर उपलब्ध कराई जाएगी ।

4. यह अधिसूचना, असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों के सिवाय सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 18031/2/2017-डीआईआर-एएनएलएम]

डॉ. ओ. पी. चौधरी, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING**

**(Department of Animal Husbandry and Dairying)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th July, 2019

**S.O. 2602(E).—**Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And, whereas, the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying (hereinafter referred to as the Ministry) in the Government of India is administering the scheme of Entrepreneurship Development and Employment Generation – a component under the National Livestock Mission (herein referred to as the Scheme) which is implemented by the State Governments and Union territory Administrations through the National Bank for Agriculture and Rural Development (herein after referred to as the Implementing Agency) across the country;

And whereas, under the scheme, back ended subsidy is reimbursed (herein referred to as the benefits), inter-alia, to the farmers, and individual entrepreneurs (hereinafter referred to as the beneficiaries), towards central assistance for credit-cum-subsidy linked activities for the different sub components as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (herein after referred to the said Act), the Central Government hereby requires the following , namely:—

1. (1) Every eligible beneficiaries desirous of availing the benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Every eligible beneficiary desirous of availing the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act and such persons may visit any Aadhaar enrolment centre [list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in] for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department, which is responsible for implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration or the Ministry, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the said concerned Department shall provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of expand or by becoming expand Registrars itself:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:–

(a) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment Identification slip; and

(b) (i) Bank Passbook or Post office Passbook with photo; or (ii) Voter Identification Card; or (iii) Permanent Account Number (PAN) Card; or (iv) Passport; or (v) Driving licence issued by Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vi) Ration Card; or (vii) expand Job Card; or (viii) Kisan Photo Passbook; or (ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or (x) Any other document as specified by the Ministry:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Ministry for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits to the beneficiaries under the Scheme, the Department, which is responsible for implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration through the implementing Agency, shall make all the required arrangements to ensure wide publicity through media is given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following exception handling mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, IRIS scan or Face Authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the concerned Department, which is responsible for implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration through the implementing Agency, shall make provisions for IRIS scanners or Face Authentication along with fingerprint authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case of biometric authentication through fingerprints or IRIS or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password (OTP) or Time-based One Time Password (TOTP) with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or One Time Password (OTP) or Time-based One Time Password (TOTP) authentication is not possible, benefit may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the QR code printed on the Aadhaar letter. The necessary arrangement of QR code reader shall be provided at the convenient locations by the concerned Department responsible for implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration through the Implementing Agency.

4. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories, except the State of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.

[F. No. 18031/2/2017-DIR-ANLM]

Dr. O. P. CHAUDHARY, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.07.22 19:17:35 +05'30'